सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

रजिस्टर्ड / मेल

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद,योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,यूनानी,सिद्धा एवं होम्योपैथिक(आयुष) विभाग

क्रमांकः– प.29(06)आयु. / 2022 जयपुर दिनांक :– 25 JAN 2022

Dr. M.M. Qureshi
President iatros medical society
155, sumati nagar, azad nagar,
Indore 452001 (M.P).

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराए जाने बाबत।

संदर्भः– उपशासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–5) विभाग का अ.शा. टीप कमांक 11(2)चिकि. / ग्रुप–5 / 2021 दिनांक 06.01.22 एवं अति. निदेशक (राजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं का पत्र कमांक ई / राजप / सू.अ. –05 / एफ–10/(A)(2021)2022/33 दिनांक 11.01.22 एवं राजस्थान सूचना आयोग में प्रस्तुत द्वितीय अपील कमांक CIC/JPR/A/2020/109959 दिनांक 27.07.21 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान में आवेदन दिनांक 18.02.20 किया गया है। आप द्वारा आवेदन में उल्लेखित पत्र (दिनांक 11.10.19) जो कि आप द्वारा शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को प्रेषित किया है, पर हुई कार्यवाही एवं प्रगति के संबंध में सूचना चाही है।

उल्लेखनीय है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार अन्तर्गत किया गया आवेदन संदर्भित पत्र द्वारा इस विभाग को दिनांक 10.01.22 को प्राप्त हुआ है तथा आपके जिस पत्र के कम में आप द्वारा सूचना चाही गयी है, इस विभाग को अग्रेषित होकर आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है।

चाही गयी सूचना के कम में लेख है वर्तमान में आयुष विभागान्तर्गत राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम, 2018 अधिसूचित किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।

उक्त सूचना के अतिरिक्त अन्य किसी सूचना की आवश्यकता हो, तो चाही गयी सूचना का आवेदन में स्पष्ट उल्लेख करने एवं नियमानुसार आवेदन करने पर वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी।

संलग्नः–उपर्युक्तानुसार।

(आर.एन.शर्मा)
राज्य लोक सूचना अधिकारी
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है –

1. पंजीयक, राजस्थान सूचना आयोग, को आवेदक द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील संख्या 109959 / 2020 के कम में जारी नोटिस कमांक CIC/JPR/A/2020/109959 दिनांक 27.07.21 के कम में प्रेषित कर अनुरोध है कि आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाई जा रही है अतः उक्त अपील निस्तारित करवाने का श्रम करावें।
2. उपशासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–5) विभाग को संदर्भित पत्र के कम में प्रेषित कर लेख है कि आवेदक द्वारा आवेदन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में किया गया है, तथा आवेदन में आवेदक द्वारा उल्लेखित पत्र जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित किया गया है, पर हुई कार्यवाही / प्रगति के संबंध में सूचना चाही गयी है। अभी आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा रही है। चूंकि आवेदन में उल्लेखित उक्त पत्र आप द्वारा इस कार्यालय को अग्रेषित नहीं किया गया तथा द्वितीय अपील प्रस्तुत किये